



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 27 राँची, बुधवार 25 अग्रहायण 1942 (श०)
16 दिसम्बर, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 223-225
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9—विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-827/2017 का- 6060-- श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016), उप निदेशक (प्रशासन), श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 29.09.2018 से 08.10.2018 तक कुल 10 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में एवं दिनांक 09.10.2018 से 24.11.2018 तक कुल 47 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में एवं दिनांक 25.11.2018 से 29.03.2020 तक कुल 491 दिन असाधारण अवकाश (बिना वेतन के) की स्वीकृति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2020

संख्या-1/ विविध- 816/2020 का- 5861-- सुश्री समीरा एस., भा.प्र.से. (झा:2018), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 15.12.2020 से 13.01.2021 तक कुल 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-814/2020 का०- 5734-- श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से. (झा:2016), संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.11.2020 से 24.12.2020 तक कुल 32 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।